



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042021-226763
CG-DL-E-26042021-226763

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1576]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 2021/वैशाख 6, 1943

No. 1576]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 2021/VAISAKHA 6, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2021

सं. 2 / 2015—2020

विषय : आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय-85 के एचएसकोड 85167920 और 85167990 के तहत आयात नीति में संशोधन और नीतिगत शर्त को शामिल करना।

का.आ. 1699(अ)।—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 85 के एकिजम कोड 85167920 और 85167990 के तहत मदों की आयात नीति में संशोधन करती है।

एचएस कोड	विवरण	मौजूदा आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
85167920	कीटों (उदाहरण के लिए मच्छरों या इसी तरह के अन्य कीटों) के निवारण के लिए बने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	मुक्त	--	मच्छर मारने वाले रैकेट का आयात 'निषिद्ध' है यदि सी.आई.एफ. मूल्य 121/- रुपये प्रति रैकेट से कम है।

85167990	अन्य	मुक्त	--	मच्छर मारने वाले रैकेट का आयात 'निषिद्ध' है यदि सी.आई.एफ. मूल्य 121/- रुपये प्रति रैकेट से कम है।
----------	------	-------	----	---

2. **अधिसूचना का प्रभाव:** एचएस कोड 85167920 और 85167990 के तहत मच्छर मारने वाले रैकेट की आयात नीति 'मुक्त' से संशोधित करके 'निषिद्ध' की जाती है यदि सी.आई.एफ. मूल्य 121/- रुपये प्रति रैकेट से कम है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/35/एएम-21/पीसी-2(क)/ई-26084]

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2021

No. 2 /2015-2020

Subject : Amendment in import policy and incorporation of a Policy Condition under HS Code 85167920 and 85167990 of Chapter-85 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy).

S.O. 1699(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy of items under EXIM Code 85167920 and 85167990 of chapter 85 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

HS Code	Description	Existing Import Policy	Existing policy condition	Amended Policy Condition
85167920	Electrical or electronic devices for repelling insects (for example, mosquitoes or other similar kind of insects)	Free	--	Import of mosquito killer racket is 'prohibited' if C.I.F value is below Rs 121/- per racket
85167990	Others	Free	--	Import of mosquito killer racket is 'prohibited' if C.I.F value is below Rs 121/- per racket

2. **Effect of the Notification:** Import policy of mosquito killer racket under HS Codes 85167920 and 85167990 is revised from 'Free' to 'Prohibited' if C.I.F value is below Rs121/per racket.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/35/AM-21/PC-2(A)/E-26084]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.